/

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-3/2025/ 4110 लखनऊ:दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

यू०पी० नीट पी०जी०-2025 के अन्तर्गत तृतीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

1. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में सीटों का आवंटन तृतीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा।

2. प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश न लेने अथवा प्रवेशोपरान्त त्याग-पत्र देने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् ही तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।

4. तृतीय चक की कांउसिलिंग में च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की रिक्त **(Vacant)**/नॉट रिपोर्टेड **(Not reported)** एवं रिजाईन **(Resign)** सीटें **Clear-cut Vacancy** के तौर पर प्रदर्शित की जायेगी। उक्त वैकेन्सी के अतिरिक्त **Seat Against Cancellation (SAC)** का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। **SAC** सीटें एक प्रकार की **Virtual vacancies** है. जो कि पूर्व से प्रवेशित अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है, च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस लाक करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकेगा और न हीं इस सम्बन्ध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत् बनी रहेगी।

8. अभ्यर्थी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोड़कर ही अन्य विकल्प/च्वाईस भरी जाये, अन्यथा की स्थिति में यदि पूर्व प्रवेशित सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति ही प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी।

9. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की कांउसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

11. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की कांउसिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेते है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर लिया जायेगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

12. तृतीय चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन के पश्चात् राजकीय क्षेत्र के कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को सबंधित मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय/ जिला चिकित्सालय पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

13. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। आवंटन पत्र पर नोडल सेंटर का नाम अंकित होगा।

14. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क **(Tuition Fee)** का सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० **(Director General Medical Education & Training U.P payable at Lucknow)** के पक्ष में निर्गत हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं का फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है।

15. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) का प्रमाण पत्र दिनांक- 01.04.2025 अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगा।

16. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

17.आरक्षण (अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सम्बन्धी समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

18. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज / नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

19. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन / पुनरावंटन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थी संबंधित मेडिकल कालेज में रिपोर्ट करेंगें।

20. नीट पी०जी० 2025 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 06.06.2025 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही समस्त चक्रों की कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

21. नीट एम०डी०एस०-2025 कांउसिलिंग सबधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के लिये विभागीय वेबसाइट **https://upneet.gov.in** एवं **www.dgme.up.gov.in** पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक